377

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. III/2015 R. 3302/III/2015

दिनांक 9-10-15 को श्री विनोद भार्गव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
9-10-15

कबीर दास पिता चमरू गड़ारी ग्रास सकरिया तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)

———आवेदक

विरूद्ध

1. कौशल्या चौहान **पति** हवाशंकर चौहान निवासी **अनूपपुर** तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.)
2. म.प्र. राज्य द्वारा **कलेक्टर** अनूपपुर कलेक्टर अनूपुर **जिला** अनूपुर (म.प्र.)

———अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
09-10-2015

शाखा प्रभारी (रा...)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

न्यायलय तहसीलदार, तहसील अनूपपुर लिा अनूपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1401अ–03/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20/07/2015 के विरूद्ध म.प्र. भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवदेक का पुनरीक्षण निम्नानुसार **प्रस्तुत** है ।

1. यहकि, ग्राम सकरिया वृत्त अनूपपुर, तहसील व **जिला अनूपपुर** में स्थित भूमि सर्वे क्र. 19 शासकीय भूमि है। **इस सर्वे क्र. 19** की भूमि 19/2 का रकबा 0.911 हैक्टयर **कबीर दास भूमि**

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3302-तीन/2015 जिला अनूपपुर

कबीरदास विरूद्ध कोशल्या

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील अनूपपुर जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 140/अ-3/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 20-07-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-05-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/03/19 सदस्य	